(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1464-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-5-2006 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 189/2005-06 अपील

1- ओंकार प्रसाद पुत्र स्व0 नवलकिशोर
2- महिला तुलसा पत्नि स्व0 नवलकिशोर
3- श्रीमती मैना देवी पुत्री स्व0नवलकिशोर
तीनों ग्राम झाली तहसील रघुराजनगर
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- चन्द्रिका प्रसाद पुत्र राममिलन
ग्राम झाली तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2- सरपंच ग्राम पंचायत झाली तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 189/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-2006 के विरूद्ध म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील मेमो के तथ्यों अनुसार प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पंचायत झाली जनपद पंचायत सोहवल द्वारा आदेश दिनांक 3-12-1985 पारित

करके ग्राम झाली की भूमि सर्वे कमांक 508 रकबा 0-439 हैक्टर पर रास्ते के विवाद का निवटारा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी कमांक 73 सी-144/1987-88 प्रस्तुत की गई। कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 8-8-1988 से पक्षकार को सक्षम न्यायालय में अपील करने के आधार पर निगरानी निरस्त कर दी गई, जिस पर से अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के न्यायालय में अपील कमांक 171/1989-89 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 28-2-2006 पारित किया तथा ग्राम पंचायत को रास्ता विवाद के निराकरण की शक्तियॉं न होने के आधार पर ग्राम पंचायत झाली के आदेश दिनांक 3-12-1985 को निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-2-2006 के विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 189/2005-06 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 10-5-2006 से अपील अग्राह्य की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार स्थिति यह है कि मुख्य विवाद ग्राम झाली की भूमि सर्वे कमांक 508 रकबा 0-439 हैक्टर पर रास्ते के विवाद का निवटारा ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 3-12-1985 से किये जाने पर उत्पन्न हुआ है । विचार योग्य है कि क्या ग्रामों की कृषि भूमियों के बीच, मध्य प्रदेश शासन की भूमियॉं अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीणों के हितों में उपयोग हेतु आरक्षित रखी गई भूमि पर उत्पन्न हुये रास्ते के विवादत को ग्राम पंचायत निराकृत कर सकती है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की किन्हीं भी धाराओं में रास्ता विवाद के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत को सशक्त नहीं किया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी

रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 171/1989-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2006 से ग्राम पंचायत के अधिकारिता विहीन आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 189/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-2006 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य न मानकर अपील अग्राह्य करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 189/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर